ई–मेल

संख्या–1149/आठ–3–26–26 विविध/2017 टी.सी.

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
4. **निदेशक,**
आवास बन्धु,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 12 जून, 2026**

विषयः– **Fast and Simplified Trust Based Plan Approval System (FASTPAS) के High Risk Module को लान्च किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया विषयांकित प्रकरण में शासनादेश संख्या–1928/आठ–3–25–26 विविध/2017 टी.सी. दिनांक 14.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ओ.बी.पी.ए.एस. सिस्टम के स्क्रूटनी इंजन को बन्द रखते हुए इस पर प्राप्त हो रहे मानचित्रों को अभिकरणों को फारवर्ड किये जाने तथा इन मानचित्रों का परीक्षण अभिकरणों द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 के प्राविधानों के अनुसार मैनुअली किये जाने की अवधि दिनांक 30.11.2025 तक अथवा ओ.बी.पी.ए.एस. प्रणाली के स्थान पर फास्टपास प्रणाली लागू किये जाने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ायी गयी थी।

2– निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–3649/2849/आ.ब.–5/सिस्टम–फास्टपास/2026 दिनांक 02.06.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि हाई रिस्क मानचित्र स्वीकृति एवं एन.ओ.सी. मॉड्यूल की ऑनलाइन व्यवस्था को दिनांक 01.06.2026 से गो–लाइव कर दिया गया है। फास्टपास के अन्य महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स यथा LTP Registration, Landuse Verification, Map Submission (Low-Risk & Medium-Risk), Purchasable FAR, Payment Module, Approved Building Plan Storage and E-mail/SMS मॉड्यूल्स पूर्व में ही गो–लाइव हो गये हैं।

3– चूंकि फास्टपास सिस्टम के हाई रिस्क मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अब गो–लाइव कर दिया गया है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

(1) फास्टपास सिस्टम के हाई रिस्क मानचित्र स्वीकृति मॉड्यूल को लान्च किया जाता है।

(2) नोडल अधिकारी (ओबीपीएएस), मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. द्वारा ओबीपीएएस सिस्टम को लो–रिस्क तथा हाई रिस्क मानचित्र स्वीकृति हेतु पूर्ण रूप से बंद किया जाए, परन्तु बन्द किए जाने वाली तिथि तक ओबीपीएएस सिस्टम पर लम्बित समस्त मानचित्रों की प्रोसेसिंग ओबीपीएएस सिस्टम से ही की जाए।

(3) फास्टपास सिस्टम के प्रारम्भिक दौर में समस्याओं के निराकरण हेतु प्राधिकरणों के लिए मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के लिए मुख्य वास्तुविद् नियोजक को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

4— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0पी0 नागेश)
उप सचिव